न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

1

आपराधिक प्रक0क्र0 235/09

संस्थित दिनाँक-13.04.09

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा

जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

अरविंद पुत्र महावीर प्रसाद व्यास उम्र 36 साल निवासी सीता कालोनी भिण्ड म०प्र0

.....अभियुक्त

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 27.02.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 304 ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 06.04.09 को करीब 22:12 बजे थानिसंह होटल के आगे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर ट्रक क्रमांक एच0आर0 55 ई—0249 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर ट्रक क्0 यू0पी0— 78 ए—8045 में टक्कर मारकर मौहम्मद जमील की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी रामलाल द्वारा दिनाक 06,04.09 को रात करीब 11 बजे थाना गोहद चौराहे पर इस आशय की सूचना दी कि ट्रक क0 यू0पी0-78 ए 0टी0-8045 पर मौहम्मद जमील के साथ जा रहा था। रत करीब 8 बजे दोनों ट्रक ग्वालियर से रद्दी भरकर उत्तरांचल के लिए रवाना हुए। करीब सवा दस बजे थानसिंह के होटल के पहले भिण्ड ग्वालियर रोड पर पहुंचे तभी एक ट्रक एच0आर0 55 इ-0249 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और उनके ट्रक में सामने से टक्कर मार दी, मौहम्मद जमील ट्रक में फंस गया जिसे ट्रक से निकाला। उक्त रिपोर्ट से अप0क0-56/09 पंजीबद्ध किया गया। आहत को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। आहत की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। मर्ग कायम किया गया, शव परीक्षण कराया गया। नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। वाहन जब्त कर जब्दी पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के तहत परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूंटा फंसाया जाना बताया।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं 🔍

क्या अभियुक्त ने दिनांक दिनांक 06.04.09 को करीब 22:12 बजे थानसिंह होटल के आगे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर ट्रक कमांक एच0आर0 55 ई—0249 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर ट्रक क0 यू0पी0— 78 ए—8045 में टक्कर मारकर मौहम्मद जमील की ऐसी मृत्यू कारित की, जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती। ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, आर० चालक रामकरन शर्मा अ०सा० 2 बालकृष्ण अ०सा० 3, मनोज कुमार पाल अ०सा० 4, मौहम्मद सादिक अ०सा० 5 व हरेन्द्रसिंह भदौरिया अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 6. प्रकरण में मनोज कुमार पाल अ०सा० 4 यह कथन करते हैं कि वे 5—6 साल पहले रात के 12—1 बजे अपने चालक के साथ ट्रक में रद्दी भरकर फैक्ट्री जा रहे थे। गोहद चौराहे थाने से आगे एक कंटेनर और ट्रक बाडी गाडी में एक्सीडेंट हो गया, एक बिहार का लडका जो ट्रक बाडी चला रहा था वह खत्म हो गया था। साक्षी टक्कर मारने वाले कंटेनर का नंबर पता न होना और ट्रक बाडी का भी नंबर पता न होना बताते हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए, उसमें साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया कि वह ट्रक क० यू०पी० 78 बी०एन० 6759 पर चालक था और मौहम्मद जमील यू०पी०—78 ए०सी०—8045 पर चालक था। यह स्वीकार करता है कि उसका ट्रक रामलाल चला रहे थे और रात करीब 10:15 बजे थानसिंह होटल के पहले भिण्ड तरफ से ट्रक क० सच०आर०—55 ई 249 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर यू०पी०—78 ए०सी०—8045 को टक्कर मार दी थी। साक्षी सूचक प्रश्न में यह भी स्वीकार करता है कि मौहम्मद जमील उस ट्रक में फंस गया जिसे उन लोगों ने निकाला फिर पता चला कि वह खत्म हो गया है।
- 7. मीहम्मद सादिक अ0सा0 5 मृतक का छोटा भाई है जो यह कथन करता है कि वह दस चक्का ट्रक से इटावा तरफ जा रहा था और उसका ट्रक आगे निकल गया था तथा डीजल खत्म होने से साईड में रोककर वे खाना बना रहे थे। उसका भाई जमील पीछे आ रहे ट्रक में बैठा था। उक्त ट्रक का चालक आया और उसने बताया कि साक्षी के भाई का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद गोहद के सरकारी अस्पताल में आया वहां उसके भाई की मृत्यु हो चुकी थी। साक्षी उसके सामने एक्सीडेंट न होने का कथन करता है। यह साक्षी लाश का नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 7, मृत्यु जांच में उप0 होने का आवेदन प्रपी0 6 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर तथा शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी0 8

पर बी से बी भाग पर व लाश सुपुर्दगी पंचनामा प्र०पी० 9 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। मनोज कुमार अ०सा० 4 भी प्र०पी० 6 लगायत 8 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है।

- 8. डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि दिनांक 06.04.09 को सीएचसी गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आहत मौहम्मद जमील का चिकित्सीय परीक्षण करने पर बांए पैर के टखने के पास से कुचला हुआ घाव जिस पर खून बहने व दांयी जांघ में विकृति होना पाई थी, आहत छटपटा रहा था। उसको आई चोट सख्त व भौथरी वस्तु से 6 घण्टे के अंदर की आना प्रतीत हो रही थी, परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी० 1 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् दिनांक 07.04.09 को मृतक मौहम्मद जमील का शव परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसका शव परीक्षण करने पर मृतक की मृत्यु उसके पैर में आई चोट से अत्यधिक रक्तस्राव होने से कारित होने की राय देते हैं। उसकी मृत्यु परीक्षण से 6 से 24 घण्टे के भीतर कारित होने के संबंध में अपना अभिमत देते हैं। साक्षी के द्वारा शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी० 2 बताकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- 9. बालकृष्ण अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 06.04.09 को प्र०पी० 4 की प्राथमिकी पंजीबद्ध किया जाना और उक्त दिनांक को अकाल मृत्यु की प्रथम सूचना (मर्ग सूचना) क्रमांक 11/09 लेख किया जाना बताते हुए उक्त प्रपी० 5 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। प्र०पी० 5, 6, 7, 8 के दस्तावेज तथा डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 की मौखिक साक्ष्य व मनोज अ०सा० 4, मौहम्मद सादिक अ०सा० 5 की साक्ष्य से यह तथ्य अखण्डित रहा है कि दिनांक 06.04.09 को मृतक जमील की दुर्घटना में मृत्यु कारित हुई थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना हैं कि क्या अभियुक्त द्वारा अभिकथित ट्रक एच०आर०—55 ई०—0249 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मृतक की ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती ?
- 10. प्रकरण में फरियादी रामलाल है जो कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका और अदम पता घोषित किया गया। साक्षी का कोई नवीन पता भी अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट प्र0पी0 4 व अकाल मृत्यु की प्रथम सूचना (मर्ग) प्र0पी0 5 में स्पष्ट रूप से लेख है कि रामलाल यू0पी0—78 बी0एन0—6759 पर चालक था और मृतक जमील यू0पी0—78 ए0टी0 8045 पर चालक था। ऐसे में रामलाल मृतक जमील के साथ एक वाहन पर मौजूद नहीं था। मनोज अ0सा0 4 सूचक प्रश्न में स्वीकार करते हैं कि वे जिस ट्रक पर थे उसे रामलाल चला रहे थे। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि उनका वाहन जमील के वाहन के साथ नहीं चल रहा था, दुर्घटना के समय वे मौजूद नहीं थे और यह भी स्वीकार करते हैं कि वे दुर्घटना के

करीब एक घण्टे बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे। ऐसे में जब रामलाल के ट्रक में बैठा साक्षी मनोज अ०सा० 4 घटनास्थल पर करीब एक घण्टे बाद पहुंचा तो रामलाल का घटना की देखने का तथ्य संदिग्ध हो जाता है।

- 11. मनोज अ०सा० 4 जिस कंटेनर से एक्सीडेंट हुआ उसका नंबर पता न होना बताते हैं। यद्यपि सूचक प्रश्न में साक्षी द्वारा ट्रक क्रमांक एच०आर०-55 ई0-249 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से दुर्घटना कारित किए जाने व ट्रक क् यू०पी०-78 ए०सी०-8045 में टक्कर मार देने का तथ्य स्वीकार करते हैं किन्तु प्रतिपरीक्षण में दुर्घटना के समय मौजूद न होने का तथ्य भी स्वीकार करते हैं। ऐसे में इस साक्षी के अभिसाक्ष्य पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता है। मौहम्मद सादिक अ०सा० 5 जो कि मृतक का सगा भाई है, वह अपने अभिसाक्ष्य में गोहद अस्पताल में मृतक जमील को देखने का कथन करते हैं और मुख्य परीक्षण में किस वाहन से किस चालक द्वारा दुर्घटना कारित की गयी, इसके संबंध में जानकारी न होना बताते हैं। साक्षी अपने पुलिस कथन प्र०पी० 10 के संपूर्ण सारवान भाग का कथन दिए जाने से इंकार करते हैं। मनोज अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी०8 के विनिर्दिष्ट बी से बी भाग का कथन पुलिस को देने से इंकार करते हैं। इस प्रकार से घटना के अभिकथित महत्वपूर्ण साक्षियों के द्वारा उनके पूर्वतन कथनों धारा 161 दप्रस के संबंध में सारवान विरोधाभास व लोप दर्शित किए हैं।
- बालकृष्ण अ०सा० ३ अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी रामलाल द्वारा ट्रक एच०आर०–55 12. ई–0249 के चालक के विरूद्ध तेजी व लापरवाही से चलाकर वाहन यूपी0–78 ए0टी0–8045 को टक्कर मार देने के संबंध में रिपोर्ट लिखाए जाने से अप0क0-56/09 पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्र0आर0 हरेन्द्रसिंह को सुपुर्द किए जाने का कथन करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 4 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 4 को लेखबद्ध कराने वाले अर्थात रामलाल को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका और न हीं अभियुक्त को उसके प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर प्राप्त हुआ। घटना के अन्य कथित चक्षुदर्शी मनोज अ०सा० ४ व मनोज अ०सा० ५ अपने अभिसाक्ष्य में उनके समक्ष दुर्घटना कारित होने व कथित दुर्घटना में कौनसा वाहन सम्मिलित था व किसकी त्रुटि थी तथा उसे कौन चला रहा था, इसके संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। ऐसे में प्रस्तुत साक्ष्य में सारवान रूप से यह अभिलेख पर दर्शित नहीं किया जा सका है कि मृतक जमील के ट्रक यू0पी0-78 ए0टी0-8045 को ट्रक एच0आर0 55 ई0-0249 के द्वारा ही टक्कर मारी गयी हो। ऐसे में प्र0पी0 4 की प्राथमिकी सारवान नहीं हैं। न्यायदृष्टांन्त— रवि कुमार वि० <u>स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट</u> 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नही आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम

की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

- 13. हरेन्द्रसिंह अ०सा० 6 जो कि प्रकरण में अनुसंधानकर्ता हैं। अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 08.04.09 को उक्त ट्रक एच०आर०—55 ई0—0249 जब्तकर जब्ती पत्रक प्रणी० 12 बनाया था तथा गिर० पत्रक प्रणी० 13 बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। अनुसंधानकर्ता प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि अनुसंधान के अनुसार मौहम्मद सादिक, आजाद तथा राजेन्द्र अरोरा के सामने दुर्घटना कारित नहीं हुई। यह भी स्वीकार करते हैं कि उक्त लोगों ने अपने सामने एक्सीडेंट होने की बात नहीं बताई थी। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उक्त ट्रक एच०आर० 55 ई0—0249 को घटनास्थल से जब्त नहीं किया बल्कि थानसिंह के होटल से जब्त किया था। घटनास्थल से थानसिंह के होटल की दूरी करीब आधा किलोमीटर होना बताते हैं। ऐसे में कथित ट्रक घटना में लिप्त था इसके संबंध में एक प्रबल संदेह उत्पन्न होता है। साथ ही तर्क के लिए यह मान लिया जावे कि अभिकथित ट्रक अभियुक्त के आधिपत्य से जब्त हुआ था तो भी जबिक अभियोजन की साक्ष्य इस संबंध में अभिलेख पर नहीं हैं कि उक्त अभिकथित ट्रक से ही दुर्घटना कारित हुई तो अभियुक्त के आधिपत्य से जब्ती मात्र हो जाने से उसका अपराध प्रमाणित नहीं हो जाता है।
- 14. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत वर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।
- 15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 06.04.09 को करीब 22:12 बजे थानसिंह होटल के आगे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर ट्रक कमांक एच0आर0 55 ई—0249 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर ट्रक क0 यू0पी0— 78 ए—8045 में टक्कर मारकर मौहम्मद जमील की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 304 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 16. अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाती हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

17. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया ।

सही/-

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

WILLIAM STATESTAN STATESTAN PROPERTY OF THE PR

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश